छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर–492002

–: अधिसूचना :–

रायपुर, दिनांक 24/05/2017

क्रमांक/4211/एफ–8/89/PMFBY/2016/14–2 :: भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015/03/2017 Credit II नई दिल्ली, दिनॉक 23.02.2016 द्वारा दिये गये प्रशासनिक अनुमोदन एवं योजना क्रियान्वयन के जारी दिशा–निर्देशों के आलोक में सक्षम अनुमोदन उपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा खरीफ मौसम 2017 में प्रदेश के समस्त 27 जिलों में **''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना''** लागू करती है। योजनान्तर्गत विवरण निम्नानुसार है:–

1. अधिसूचित फसले एवं बीमा इकाई :–

फसल		बीमा इकाई
मुख्य फसल	धान सिंचित, धान असिंचित	ग्राम पंचायत
अन्य फसल	मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर) मूँग, उड़द	ग्राम पंचायत

2. अधिसूचित क्षेत्र :–

प्रदेश के सभी 27 जिले में योजना क्रियान्वित की जायेगी। अधिसूचित जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल, ग्राम पंचायत एवं इन क्षेत्रों में सम्मिलित अधिसूचित फसल का विवरण **परिशिष्ट–1** में है।

3. शामिल किये जाने वाले कृषक :–

इस योजना में ऋणी कृषक (भू–धारक व बटाईदार) एवं अऋणी कृषक (भू–धारक एवं बटाईदार) भाग ले सकते है।

(क) अनिवार्य आधार पर :– ऐसे सभी कृषक जो अधिसूचित फसल उगा रहे हो और वित्तीय संस्थानों से जिनकी मौसमी कृषि ऋण की सीमा खरीफ 2017 हेतु 01.04.2017 से 31.07.2017 तक स्वीकृत/नवीनीकृत की गई हो। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग–अलग वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही वित्तीय संस्थान से बीमा करवाना होगा।

(ख) स्वैच्छिक आधार पर :– अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हो, वे अनिवार्य दस्तावेज को प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है।

4. योजना क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कम्पनी :–

खरीफ 2016 में निविदा के आधार पर चयनित बीमा कंपनियों द्वारा निविदा में उल्लेखित दरों पर ही खरीफ वर्ष 2017 में अधिसूचित क्षेत्रों में फसल बीमा कार्य का संपादन किया जाएगा।

क्लस्टवार बीमा कंपनियों को आबंटित जिलो की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	क्लस्टर क्र.	जिला	क्रियान्वयक बीमा कंपनी
1	2	3	4
1	1	नारायणपुर, कांकेर, कबीरधाम, रायगढ़, दुर्ग	ईफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
2	2	सुकमा, मुंगेली, बालोद, बेमेतरा, सूरजपुर, कोरबा	रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
3	3	कोंडागांव, बिलासपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बलरामपुर, कोरिया	ईफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
4	4	बीजापुर, महासमुंद, धमतरी, जशपुर, रायपुर, बस्तर	ईफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
5	5	जांजगीर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, सरगुजा	ईफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

5. जोखिमों की आच्छादन एवं अपर्वजन :–

(i) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिये निर्गत मार्गदर्शिका मे वर्णित सभी प्रकार के जोखिमों, जो निम्नानुसार है, हेतु बीमा आवरण उपलब्ध होगाः–

(क) बाधित बुआई/रोपण जोखिम : बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई/रोपण क्रिया न होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा।

(ख) खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक) : गैर बाधित जोखिमों यथा सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलभराव, कीट एवं व्याधि, भू–स्खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं और आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर और बवंडर के कारण फसल को होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिए वृहत जोखिम बीमा दिया जायेगा।

(ग) फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान : यह बीमा आच्छादन ऐसी अधिसूचित फसलों के कटाई उपरांत अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) के लिए चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं बेमौसमी वर्षा के मामले में दिया जायेगा, जिन्हे फसल कटाई के बाद खेत में सुखने के लिए छोड़ा गया है।

(घ) स्थानीयकृत आपदाएं : अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषक भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, भू–स्खलन और जलभराव के अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा।

(ii) सामान्य अपवर्जन : युद्ध, नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानियों, दुर्भावनाजनित क्षतियों और अन्य निवारणीय जोखिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

6. बीमित राशि :–

ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि प्रत्येक जिले में अधिसूचित फसलों हेतु निर्धारित प्रति हेक्टेयर ऋण मान (Scale of Finance) के बराबर (संलग्न परिशिष्ट–2) मान्य होगी।

ऋण प्रदाय करने वाली वित्तीय संस्था ऋणी कृषक को "बीमा प्रीमियम राशि" अतिरिक्त ऋण के रूप में प्रदान करेगी।

7. प्रीमियम की गणना एवं अनुदान :–

कृषकों द्वारा अधिकतम देय प्रीमियम बीमित राशि का 2 प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम, जो भी कम हो। शेष प्रीमियम राशि 50–50 प्रतिशत के अनुपात में क्रमशः केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में देय होगा।